तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7-3-18	वकुलाफ उपस्थित। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जो संलग्न है। वास्ते बहस दिनांक 14-3-18 को पेश हो। SDO देवरी
14/3/18	वकुलाफ उपस्थित। वकुलाफ की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के संलग्न हो। SDO देवरी

यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी जिला पाली (राजस्थान)

ठासीन अधिकारी : श्री राजेश मेवाडा आर.ए.एस.
राजस्व वाद प्रकरण संख्या : 07/2017
ायरा तिथि : 06.03.2017
ादेश तिथि : 14.03.2018

ादी :–
ाता पुत्र रामाजी
ाति – जाट निवासी–जाटों की डोरण, सादडी
हसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

ब ना म

तिवादीगण :–
1. मोहनलाल पुत्र कसा
2. जीवाराम पुत्र कसा
3. नगा पुत्र मकना
   जाति–जाट, निवासीगण– सादडी,
   तहसील–देसूरी जिला–पाली (राज.)

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी

उपस्थिति :–
1. श्री हुकमसिंह सोंलकी– वकील प्रार्थी
2. श्री शंकरलाल मीणा – वकील अप्रार्थीगण

–: आदेश :–

दिनांक :– 14.03.2018

प्रार्थी ने प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. विरूद्ध अप्रार्थीगण ने प्रस्तुत किया गया। दिनांक 06.03.2017 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई आज्ञाप्ति आदेश पारित करने हुए अप्रार्थीगण को तलब किया गया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि मौजा सादडी चक–1 के खसरा नम्बर 3670 क्षैत्रफल 0.5000 हैक्टर किस्म गै.मु. सडा प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारों को संयुक्त खातेदारी भूमि स्थित है। जो अविभाजित है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 2/64 हिस्सा तथा अप्रार्थी सं. 3 का 1/18 हिस्सा खातेदारी है। एवं शेष हिस्से अन्य खातेदारान के हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि के "बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस" कानूनन विभाजन कराने के लिए प्रार्थी द्वारा विभाजन के लिए वाद प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि को बलपूर्वक खुर्द बुर्द, फरोख्त एवं डेमेज करने पर आमादा है। अप्रार्थीगणों के कृत्य से प्रार्थी को भारी क्षति होने, प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्या होने एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने से वाद के निर्णय तक वादग्रस्त भूमि के मौके की यथा स्थिति कायम रखने एवं खुर्द बुर्द फरोख्त, डेमेज नही किए जाने के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि जो गे.मु.सडा किस्म राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। के विभाजन हेतु प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्ट्या नहीं है, न ही अपूरणीय क्षति का सिद्वान्त ही लागू होता है। वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 53 1/2 व 53 1/3 का भाग नहीं है। गे.मु. सडा समस्त खातेदारों के संयुक्त उपयोग की भूमि है। एवं समस्त खातेदारों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कृषि भूमि जोत जिसका लगान अदा किया जाता हो एवं विभाजन की जा रही है। उसी भूमि का विभाजन किए जाने का प्रावधान है। वादग्रस्त आराजी गे.मु. सडा है। जो कृषि जोत की भूमि नहीं है। एवं वादी का वाद मेन्टेबल नहीं होकर काबिल खारिज होने से अस्थाई आज्ञाप्ति का प्रार्थना पत्रकाबिल खारिज योग्य है।

विद्धवान बाबुलाल की बहस समायत की गई। पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 05.04.2017 का वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट भी तलब की गई जो दिनांक 07.03.2018 को प्रस्तुत होने पर पत्रावली के संलग्न की गई है। प्रार्थी के विद्धवान नायक द्वारा पूर्व में दिनांक 05.04.2017 को प्रस्तुत लिखित बहस भी पत्रावली के संलग्न है। विद्धवान वकुलाम द्वारा प्रस्तुत बहस के तर्को को भी सुना गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में निम्नांकित तीन बिन्दुओं पर विचार कर आदेश बाबत अस्थाई आज्ञाप्ति पारित किया जाना है।

1. प्रथम दृष्ट्रया प्रकरण
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूरणीय क्षति

प्रथम दृष्ट्रया प्रकरणः— प्रार्थी द्वारा अप्राथीगणों एवं अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध वाद बाबत् कृषि भूमि विभाजन घोषणा खातेदारी एवं स्थाई आज्ञाप्ति प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि मौजा सादडी चक प्रथम के खसरा नम्बर 3670 क्षैत्रफल 0.50 हैक्ट. किस्म गे.मु. सडा का विभाजन किए जाने का अनुतोष वाद पत्र में चाहा गया है। वर्तमान खतौनी जमाबंदी 2073—76 के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि प्रार्थी, अप्रार्थीगण एवं अन्य कुल 23 व्यक्तियों की सहखातेदारी भूमि दर्ज है। जिसमे प्रार्थी वगतांराम पुत्र रामाराम का 1/12 हिस्सा यानि 0.0425 हैक्ट. खातेदारी दर्ज है। वादग्रस्त भूमि कृषि जोत की भूमि नहीं होकर खाता संख्या 1062 में गे.मु. सडड्ड एवं खसरा नम्बर 3669 गे.मु. बेरा के रूप में अधिकार भू.अभिलेखो में प्रविष्ट है। गे.मु. सडा की वादग्रस्त भूमि में संयुक्त उपयोग की भूमि है। जिसका न तो लगान कायम होता है। एवं न ही उसका विभाजन धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं उसके प्रावधानों को लागु करने के लिए बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 24(डी) एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अन्तर्गत लागु है। पटवारी हल्का सादडी द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन दिनांक 05.03.2018 के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी स्वयं का मकान पूर्व में बना हुआ है तथा अप्रार्थी सं. 2 एवं अन्य सहखातेदारों के भी मकानात पूर्व में निर्मित है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा भी अपने निर्माण कार्य करवाये जाना पाया गया, जिसे पटवारी द्वारा मौके पर रूकवाया गया। विवादित आराजी गे.मु. सडा है जिसका उपयोग सम्बन्धित खातेदारान द्वारा संयुक्त रूप से अन्य कृषि प्रयोजन यानि पशु बांधने, मशीन—औजार, निवास इत्यादि के लिए किया जाता है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी स्वंय द्वारा उसके संयुक्त हिस्से की भूमि पर रहयाशी मकान पूर्व में निर्मित है एवं अप्रार्थीगण एवं अन्य सहखातेदारान द्वारा भी अपने—अपने हिस्से अनुसार भूमि का उपयोग किया जाता है। गे.मु. सडा कृषि भूमि का विभाजन कानूनन आवश्यक नहीं है। यह संयुक्त उपयोग की भूमि ही रहती है। विद्धवान वकील प्रार्थी के तर्को एंव उदाहरणों से हम सहमत नहीं है। अतः प्रार्थी का वाद प्रथम दृष्ट्रया होना नहीं माना जा सकता है।

सुविधा का संतुलनः— उपरोक्त विवेचनानुसार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में होना नहीं माना जा सकता है। वादग्रस्त गे.मु. सडा की भूमि है एवं समस्त सम्बन्धित खातेदार द्वारा सामुहिक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

अपूरणीय क्षति :– वादग्रस्त भूमि गे.मु. सडा में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है। तथा 1/12 हिस्से के अनुसार प्रार्थी के हिस्से में कुल भुभाग में 0.0425 हैक्ट. भूमि आती है। पटवारी हल्का सादडी चक प्रथम द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन के अनुसार वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का रहयाशी मकान बना हुआ है। तथा अप्रार्थी 2 व 3 तथा अन्य सहखातेदारों के भी पूर्व में पृथक–पृथक मकानात बने हूए है, अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा उसके संयुक्त हिस्से में मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसे पटवारी द्वारा वक्त निरीक्षण रूकवाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी जिसका आवास गृह वादग्रस्त भूमि पर काफी पूर्व से निर्मित है, उसे अप्रार्थी सं. 1 द्वारा आवास गृह निर्मित किये जाने एवं अप्रार्थी सं. 2 व 3 जिनके आवास गृह वादग्रस्त भूमि पर पहले से निर्मित है से क्या अपूरणीय क्षति संभावित होगी ? विचारणीय तथ्य है। हमारी राय में प्रार्थी जिसका पृथक आवास गृह वादग्रस्त भूमि पर निर्मित है। एवं शांतिपूर्वक निवास कर रहा, उसे किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति होने का तथ्य माना जाना कानूनन उचित नहीं हैं

उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य हम नहीं पाते है।

–: आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पूर्व जारी अन्तरिम आदेश दिनांक 06.03.2017 भी निरस्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 14.03.2018 को सरे इजलाम सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
RAS
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी (पाली)